**भारत सरकार**
**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**
**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्याः 4806**
**उत्तर देने की तारीखः 23.03.2020**

**शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चे**

**4806. श्री अनिल फिरोजियाः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालयों में दाखिल किए गए उन बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जिन्होंने नौवीं कक्षा तक पहुंचने के बाद विद्यालय बीच में छोड़ दिया था;

(ख) क्या सरकार ने आरटीई के तहत आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई नीति बनाई है/बनाने का विचार किया है, ताकि बच्चे बारहवीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**मानव संसाधन विकास मंत्री**
**(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')**

(क): नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम,2009 में कक्षा-I से VIII में 6-14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डाइस), 2017-18 (अनंतिम) के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर राज्य-वार ड्रॉप आउट दर का विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग): केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा शुरू की है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्व केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। इस योजना में स्कूल शिक्षा की परिकल्पना प्री-स्कूल से उच्च माध्यमिक स्तर तक एक सातत्य के रूप में की गई है और इसका लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

*****

अनुबंध

**'शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चे' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अनिल फिरोजिया द्वारा दिनांक 23.03.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाला अतारांकित प्रश्न सं. 4806 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**वर्ष 2017-18 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर राज्य-वार ड्रॉपआउट दर का वार्षिक औसत विवरण**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | ड्रॉपआउट दर |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 7.6 |
| आंध्र प्रदेश | 22.9 |
| अरुणाचल प्रदेश | 19.0 |
| असम | 33.7 |
| बिहार | 32.0 |
| चंडीगढ़ | 0.0 |
| छत्तीसगढ़ | 21.4 |
| दादरा और नगर हवेली | 25.1 |
| दमन और दीव | 21.2 |
| दिल्ली | 17.5 |
| गोवा | 7.3 |
| गुजरात | 20.6 |
| हरियाणा | 13.4 |
| हिमाचल प्रदेश | 6.5 |
| जम्मू और कश्मीर | 3.4 |
| झारखंड | 9.5 |
| कर्नाटक | 24.3 |
| केरल | 12.0 |
| लक्षद्वीप | 5.5 |
| मध्य प्रदेश | 24.2 |
| महाराष्ट्र | 12.6 |
| मणिपुर | 5.9 |
| मेघालय | 17.5 |
| मिजोरम | 19.7 |
| नगालैंड | 13.2 |
| ओडिशा | 28.3 |
| पुद्दुचेरी | 17.5 |
| पंजाब | 12.4 |
| राजस्थान | 10.5 |
| सिक्किम | 16.1 |
| तमिलनाडु | 16.2 |

| | |
|---|---|
| तेलंगाना | 17.1 |
| त्रिपुरा | 27.2 |
| उत्तर प्रदेश | 19.0 |
| उत्तराखंड | 11.3 |
| पश्चिम बंगाल | 14.6 |
| **संपूर्ण भारत** | **19.0** |
| स्रोत:<br>यूडाइज 2017-18 अनंतिम | |

*****